समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
पत्रांक................../सा0सु0को0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
घैलाढ़, मधेपुरा, गम्हरिया, पुरैनी, आलमनगर,
मुरलीगंज, चौसा, कुमारखंड एवं उदाकिशुनगंज
(बिहारीगंज/ शंकरपुर/ सिंहेश्वर/ ग्वालपाड़ा को छोड़कर)

मधेपुरा, दिनांक..................2016

विषय : ई-लाभार्थी के तहत् द्वितीय चरण में पेंशनधारियों की इन्ट्री में लापरवाही बरतने के निमित्त वेतन अवरूद्ध करने के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2030, दिनांक 14-07-2016

महाशय/ महाशया,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विभागीय निदेशानुसार दिनांक 20-03-2016 से 30-03-2016 के बीच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार युद्ध स्तर पर पात्र लाभुकों को पेंशन वितरण उनके खातें में पेंशन की राशि RTGS के माध्यम से भेजने का निदेश दिया गया था। इस निमित्त आप सभी को ई-लाभार्थी के तहत् द्वितीय चरण में पेंशनधारियों के नाम इन्ट्री करवाने हेतु कई बार निदेशित किया गया था। प्रखण्डवार लाभार्थी का विवरणी निम्नवत् है :-

S No.	Block Name	Total Beneficiary	With IFSC & Account No	%
1	बिहारीगंज	2136	1941	90.87
2	शंकरपुर	3446	2859	82.97
3	ग्वालपाड़ा	6921	5247	75.81
4	सिंहेश्वर	5729	4131	72.11
5	कुमारखंड	7829	4520	57.73
6	गम्हरिया	5048	2889	57.23
7	मुरलीगंज	8909	4329	48.59
8	चौसा	8139	3600	44.23
9	घैलाढ़	5778	2491	43.11
10	मधेपुरा	11315	4813	42.54
11	उदाकिशुनगंज	10103	3964	39.24
12	आलमनगर	8842	2913	32.95
13	पुरैनी	5820	1183	20.33
Total-		**90015**	**44880**	**49.86**

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा ई-लाभार्थी योजना के तहत् पेंशनधारियों के नाम को इन्ट्री करवाने में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है, जो आपके कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन का द्योतक है।

विदित हो कि विभाग द्वारा इस संबंध में बार-बार स्मारित किया जा रहा हैं। साथ ही आपके इस कृत्य से भविष्य में मिलने वाले लाभ से लाभुक वंचित रह सकता है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22-07-2016 को विभागीय बैठक में यह निदेश दिया गया कि जिस जिला में जब तक पेंशनधारियों का इन्ट्री 80 प्रतिशत से ऊपर नहीं होगा, उस जिला को पेंशन की राशि आवंटित नहीं की जायेगी।

अतएव ई-लाभार्थी के तहत् द्वितीय चरण में पेंशनधारियों की इन्ट्री में लापरवाही बरतने एवं आपके प्रखण्ड की उपलब्धि कम रहने के निमित्त आप लोगों का वेतन तब तक के लिए स्थगित किया जाता है, जब तक कि आपके प्रखण्ड के अधीन प्रवृष्टि का प्रतिशत 75 % नहीं पहुंच जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 2122 /सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 28/07/16

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज /शंकरपुर /सिंहेश्वर /ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ एवं शत-प्रतिशत इन्ट्री कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,

मधेपुरा